


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation के अन्तर्गत PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जाना है, जिसके सफल कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु निम्नवत् राज्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-


(क) विकास आयुक्त, बिहार	अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार	सदस्य - सचिव
(ग) प्रधान सचिव/सचिव सूचना एवं प्रवैधिकी विभाग, बिहार	सदस्य
(घ) प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार	सदस्य
(ङ) प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार	सदस्य
(च) प्रबंध निदेशक, बेल्ड्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना	सदस्य
(छ) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना	सदस्य
(ज) राज्य सूचना पदाधिकारी, NIC, पटना	सदस्य
(झ) मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि०, बिहार	सदस्य
(ञ) सहायक महानिदेशक, UIDAI	सदस्य
(ट) वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि	सदस्य

2. यह समिति समय-समय पर इन योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी।

  
(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापक- प्र०७-ज०वि०प्र०-११/२०१४- 649 खाद्य, पटना/दिनांक- 06/02/2018  
प्रतिलिपि -विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं  
प्रवैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार,  
पटना/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक,  
बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, बेल्ड्रॉन भवन, पटना/प्रबंध निदेशक,  
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन०आई०सी०,  
पटना/मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि०, बिहार/सहायक महानिदेशक, UIDAI,  
पटना/वित्त विभाग, बिहार एवं माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना  
के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।